

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/3364 /

जबलपुर, दिनांक 20/07/2018

श्री बलराम सोलंकी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की सेवाएँ आवश्यकता न होने के कारण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 के नियम 8-क में निहित निर्देशों के अंतर्गत नोटिस के एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार



20/7/18
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
for

पृष्ठांकन क्र C/3365 /

जबलपुर, दिनांक 20/07/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र. की ओर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री बलराम सोलंकी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


19.7.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
for